भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 213
03.02.2025 को उत्तर के लिए

जंगली सुअरों से खतरा

213. श्री बी. मणिङ्कम टैगोरः
श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंतः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम, शिवगंगई और विरुधुनगर जिलों के कृषि क्षेत्रों में जंगली सुअरों के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, जिनके कारण फसलों को व्यापक क्षति हो रही है;

(ख) क्या सरकार ने जंगली सुअरों को गैर-संरक्षित प्रजातियों की सूची में शामिल करने पर विचार किया है जैसाकि केरल राज्य में किया गया है ताकि तमिलनाडु राज्य में फसलों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए उन्हें मारने या अन्यत्र स्थानांतरण करने जैसे बेहतर जनसंख्या नियंत्रण उपायों को सक्षम बनाया जा सके;

(ग) उपरोक्त जिलों में जंगली सुअर से फसलों को हुए नुकसान के कारण जिन किसानों को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है, उनके लिए प्रस्तावित मुआवजे और राहत उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि वन, राजस्व और कृषि विभागों सहित राज्य अधिकारियों द्वारा तमिलनाडु में जंगली सुअर के खतरे के प्रबंधन हेतु दीर्घकालिक समाधान को कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी रूप से सहयोग करें; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में सुरक्षात्मक उपाय करने के लिए की गई/की जाने वाली तत्काल कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, रामनाथपुरम, शिवगंगा और विरुधुनगर जिलों में मानव-जंगली सुअर संघर्ष को दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. वन्यजीव संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए मासिक किसान शिकायत दिवस बैठकें आयोजित की जाती हैं।

ii. जहां जंगली सुअरों के कारण फसल के नुकसान की सूचना प्राप्त होती है, वहां वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा शीघ्र दौरा किया जाना चाहिए।

iii. अनुग्रह राहत भुगतान के निपटान हेतु त्वरित कार्रवाई।

(ख) जंगली सुअर को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-II में सूचीबद्ध किया गया है। इस संबंध में मुख्य वन्य जीव संरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी व्यक्ति को अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट किसी भी जंगली पशु, जो कि फसलों सहित मानव जीवन या संपत्ति के लिए संकटकारी हो गया है, का शिकार करने की अनुमति देने का अधिकार दिया गया है।

(ग) तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान शिवगंगा जिले में जंगली सूअरों के कारण फसल को हुए नुकसान का कोई मामला सामने नहीं आया है। पिछले तीन वर्षों में विरुधुनगर और रामनाथपुरम जिलों में जंगली सूअरों के कारण फसल को हुए नुकसान के लिए क्रमशः 13.495 लाख रुपये और 5.383 लाख रुपये की राहत अनुदान राशि का भुगतान किया गया है।

(घ) और (ङ) तमिलनाडु राज्य सहित देश में मानव-पशु संघर्षों के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नानुसार हैं:

i. फरवरी 2021 में मंत्रालय द्वारा मानव-वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए एक परामर्शिका जारी की गई है। इस परामर्शिका में समन्वित अंतर-विभागीय कार्रवाई, संघर्ष वाले हॉटस्पॉट को पहचानना, मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन, त्वरित प्रतिक्रिया दलों की स्थापना, राहत अनुदान राशि की मात्रा की समीक्षा के लिए राज्य और जिला स्तरीय समितियों का गठन और शीघ्र भुगतान के लिए मार्गदर्शन/निर्देश जारी करने आदि की सिफारिश की गई है।

ii. मंत्रालय ने फसलों के नुकसान सहित मानव वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन के संबंध में जून, 2022 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।

iii. मंत्रालय द्वारा मार्च 2023 के दौरान जंगली सुअर सहित विभिन्न वन्य पशुओं से उत्पन्न होने वाले संघर्षों के उपशमन के लिए प्रजाति-विशिष्ट दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

iv. मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्र प्रायोजित स्कीमों- 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास', 'बाघ और हाथी परियोजना' के तहत पशु-रोधी बाड़ लगाने, लूट-खसोट निरोधक दस्ते, त्वरित प्रतिक्रिया दल, राहत अनुदान राशि, प्रौद्योगिकी आधारित पशु ट्रैकिंग आदि सहित विभिन्न कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

v. मंत्रालय मानव-वन्यजीव संघर्ष पर जागरूकता सृजन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करता है।

*****